



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-03122022-240756
CG-DL-W-03122022-240756

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 3—दिसम्बर 9, 2022 (अग्रहायण 12, 1944)
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 3—DECEMBER 9, 2022 (AGRAHAYANA 12, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	985	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1031	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	3633	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	11107
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	465
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	3241
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	985	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1031	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	3633	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	11107
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	465
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	3241
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-01, दिनांक 21 नवंबर 2022

सं. 9-15/2001-यू.3(ए)—जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि केंद्र सरकार, आयोग की सलाह पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि विश्वविद्यालय के अलावा उच्चतर शिक्षा के लिए कोई संस्थान, उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु एक समवत विश्वविद्यालय माना जाएगा।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 9-15/2001-यू.3 दिनांक 24.05.2005 के तहत यूजीसी की सलाह पर कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कराड, सतारा, महाराष्ट्र को इन शर्तों के अधीन तत्काल प्रभाव से समवत विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया था कि संस्थान द्वारा यूजीसी और अन्य संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों, जो समवत विश्वविद्यालयों पर लागू हों, का पालन किया जाएगा।

3. और जबकि, रजिस्ट्रार, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कराड, महाराष्ट्र ने संस्थान के मौजूदा 'कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज', कराड, महाराष्ट्र का नाम 'कृष्णा विश्व विद्यापीठ', कराड, महाराष्ट्र करने के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत किया।

4. और जबकि, सरकार ने अपने पत्र संख्या 9-15/2001-यू.3 दिनांक 23.09.2022 के तहत 'कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज', कराड, महाराष्ट्र का नाम निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने हेतु बदलकर 'कृष्णा विश्व विद्यापीठ' करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की:

- i. समवत विश्वविद्यालय अपनी समग्र निधि को नए नाम से अंतरित करेगा।
- ii. समवत विश्वविद्यालय अपने एमओए/नियमों को नए नाम से पंजीकृत करेगा।

5. और इसके बाद जबकि, संस्थान ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट 07.10.2022 को प्रस्तुत की जो यूजीसी को सत्यापन और परामर्श हेतु भेजी गई थी। अनुपालन रिपोर्ट के सत्यापन के बाद, यूजीसी ने अपने पत्र संख्या 6-18/2004 (सीपीपी-1/डीयू) दिनांक 17.10.2022 के माध्यम से उक्त समवत विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन के लिए अनापत्ति व्यक्त की।

6. अब, इसलिए, केंद्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, 'कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज', कराड, महाराष्ट्र का नाम इस अधिसूचना की तारीख से बदलकर 'कृष्णा विश्व विद्यापीठ', कराड, महाराष्ट्र करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान करती है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि कृष्णा विश्व विद्यापीठ, कराड, महाराष्ट्र अपने नाम के पहले या बाद में 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। समवत विश्वविद्यालय संस्थान अपने सभी विज्ञापनों, सार्वजनिक सूचनाओं, संचार आदि में अपनी नामावली के तहत (कोष्ठों के भीतर) एक लाइन जोड़कर यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत "समवत विश्वविद्यालय के रूप में घोषित" का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा।

8. कृष्णा विश्व विद्यापीठ, कराड, महाराष्ट्र द्वारा समय-समय पर जारी इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (ओं) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषद (परिषदों) के मानदंडों/विनियमों का पालन किया जाना जारी रहेगा।

विजयलक्ष्मी महादेवन, अवर सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-01, the 21st November 2022

No. 9-15/2001-U.3(A)—Whereas, Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 provides inter-alia that the Central Government may, on the advice of the Commission, declare by notification in the Official Gazette, that any Institution for higher education, other than a University, shall be deemed to be a University for purpose of the said Act.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-15/2001-U.3 dated 24.05.2005, on the advice of UGC, had declared Krishna Institute of Medical Sciences, Karad, Satara, Maharashtra as Deemed to be University with immediate effect subject to the conditions that the Institute will adhere to the guidelines/instructions issued by UGC and other concerned statutory bodies from time to time as applicable to the Deemed Universities.

3. And whereas, the Registrar, Krishna Institute of Medical Sciences, Karad, Maharashtra submitted its request to rechristen the name of existing 'Krishna Institute of Medical Sciences', Karad, Maharashtra to 'Krishna Vishwa Vidyapeeth', Karad, Maharashtra.

4. And whereas, the Government, vide its letter No. 9-15/2001-U.3 dated 23.09.2022, conveyed its in-principle approval for change of the name of 'Krishna Institute of Medical Sciences', Karad, Maharashtra to 'Krishna Vishwa Vidyapeeth', Karad, Maharashtra for fulfilment of the following conditions:

- i. The Deemed to be University shall transfer its Corpus Fund with the new name.
- ii. The Deemed to be University shall register its MoA/Rules with the new name.

5. And further whereas, the Institution submitted its compliance report on 07.10.2022 that was sent to UGC for verification and advice. After verification of the compliance report, UGC vide its letter No. 6-18/2004 (CPP-I/DU) dated 17.10.2022 conveyed its no objection for change of name of the said Deemed to be University.

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby convey its approval for change the name of 'Krishna Institute of Medical Sciences', Karad, Maharashtra to 'Krishna Vishwa Vidyapeeth', Karad, Maharashtra with effect from the date of this Notification.

7. It is clarified that Krishna Vishwa Vidyapeeth, Karad, Maharashtra shall not use the word 'University' either in prefix or suffix to its name. In all its advertisements, public notices, communications, etc., the institution deemed-to-be-university shall distinctly mention under its nomenclature by inserting (within brackets) a line, which shall read: "Declared as Deemed-to-be-University' under Section 3 of the UGC Act, 1956.

8. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Norms / Regulations of UGC and Statutory Council(s) concerned, issued from time to time, shall continue to be adhered by Krishna Vishwa Vidyapeeth, Karad, Maharashtra.

VIJAYALAKSHMI MAHADEVAN, Under Secretary